भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 56.

(जिसका उत्तर 22 नवम्बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है।)

विश्व बैंक से ऋण हेतु भारत की अर्हता

56. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत की ऋण पात्रता बढ़ाए जाने हेतु विश्व बैंक से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विदेशी अभिकरणों से ऋण लेने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे ऋणों पर कितने ब्याज का भुगतान किया जा रहा है ; और

(ङ) सरकार द्वारा मूल ऋण राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 31 अक्तूबर 2011 को सभी बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय दाताओं से लिए गए ऋण की प्रमात्रा 319536.23 करोड़ रुपये है।

(घ) विदेशी उधारों पर अदा किए गए ब्याज का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	अदा किया गया ब्याज (करोड़ रुपये)
2007-08	3812.15
2008-09	4072.17
2009-10	3539.14
2010-11	3043.70
2011-12	1839.56 (दिनांक 18/11/2011 तक)

(ङ.)ऋण समझौतों की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा ब्याज दोनों का पुनर्भुगतान प्रत्येक वर्ष किया जाता है तथा वर्ष के आम बजट में " भारित व्यय " के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। मूलधन का पुनर्भुगतान तथा ब्याज की अदायगी देय तिथियों पर सुनिश्चित की जाती है।

---------0--------